

**206 46** केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) की लाभप्रदता के आधार पर पारिश्रमिक/वेतन संशोधन, समग्र रूप में, न कि इकाई-वार प्रदर्शन के आधार पर।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन के लिए देखें दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 (कार्यकारी अधिकारियों का वेतन संशोधन) और 09.11.2006 और 01.05.2008 (श्रमिक पारिश्रमिक संशोधन) का हवाला देने और यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि पारिश्रमिक/वेतन संशोधन के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम को एकल संगठन माना जाता है और इसके परिणामतः वेतन/पारिश्रमिक में संशोधन कंपनी के समग्र रूप में प्रदर्शन/लाभप्रदता पर आधारित होना चाहिए न कि प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग। इसका आशय है कि एक ही सीपीएसई के भीतर विभिन्न इकाइयों की वेतन/पारिश्रमिक संरचना भिन्न नहीं हो सकती।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(10)/2013-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/13, दिनांक 30 अप्रैल, 2013)

\*\*\*\*\*